

अखंड भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज

गुरुवार 28 अक्टूबर 2021

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेंट

क्रियायोग संदेश

क्रिया योग: सॉच (सच Truth) को आँच नहीं। आँच अज्ञानता (अविद्या Ignorance) समय, दूरी व सापेक्षता की अनुभूति है जो समस्त दुःखों का कारण है। अध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सामान्य तरीके से जीवन जीने पर सच की अनुभूति के लिए व्याधि रहित लगभग दस हजार वर्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन क्रियायोग अभ्यास से सच की अनुभूति एक ही जन्म में सम्भव है।

1. प्राचीन उच्च मानव सभ्यता मे वर्णित यज्ञ, वर्तमान में विश्व विख्यात 'क्रियायोग' है।
2. क्रियायोग अभ्यास वेदपाठ है, पूर्ण ज्ञान की अनुभूति है।
3. क्रियायोग अभ्यास ईश्वर अनुभूति है।
4. क्रियायोग अभ्यास अतीत, वर्तमान व भविष्य से जुड़ना है।
5. क्रियायोग अभ्यास जीवन मृत्यु पर विजय है।

स्वामी श्री योगी सत्यम्
क्रियायोग आश्रम एवं
अनुसंधान संस्थान
प्रयागराज

10 मिनट का अभ्यास 20 वर्ष का विकास

विधानसभा उपचुनाव: 44 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे, 77 करोड़पति नई दिल्ली (एजेंसी)। अलग-अलग राज्यों में होने जा रहे विधानसभा और लोकसभा उपचुनावों के 235 प्रत्याशियों में से 44 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाले और सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (3) की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। एडीआर ने 14 राज्यों में 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव के 265 उम्मीदवारों में से 261 के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है। इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए 235 उम्मीदवारों के हलफनामे के विश्लेषण में पाया गया कि 44 उम्मीदवार (19 फीसदी) ने अपने खिलाफ आपराधिक मुकदमे बताए हैं। एडीआर रिपोर्ट में कहा गया है, "इनमें से 36 (15 फीसदी) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमों की जानकारी दी है।" यह भी बताया गया है कि कुल 77 यानी 33 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति हैं और विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे।

शिक्षक नेता की हत्या में दो को फांसी, पांच को आजीवन कारावास

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट के पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्तगणों में से राजेश सिंह सुत राधेश्याम सिंह निवासी सेतापुर थाना अंतू व नौशाद उर्फ डीएम सुत शमशेर निवासी सराय कस्बा थाना लालगंज को हत्या के अपराध में



बाल कृष्ण निवासी पड़ाव नगर, अरुण कुमार सिंह सुत अमर जीत सिंह व प्रमोद तिवारी उर्फ लोटा तिवारी सुत राम लवट निवासीगण

लाख 30 हजार रुपये मृतक शोभनाथ मिश्रा के उत्तराधिकारी को प्रदान की जाए। बता दें कि वादिनी विद्या मिश्रा ने 14 जुलाई

14 जुलाई 2012 की रात को प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष की शहर में गोली मारकर हुई थी हत्या

बरिया समुद्र थाना अंतू तथा अनुज कुमार दुबे सुत राम विशाल निवासी सांगीपुर, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को अन्य अपराधों सहित दो लाख 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित करने का आदेश पारित किया। कुल अर्थदण्ड की धनराशि 19

2012 को रात नौ बजे की घटना के सम्बन्ध में तहरीर दी कि मृतक शोभनाथ मिश्रा शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे। अभियुक्त राजेश सिंह मेरी पुत्री पूजा से जबर्न शादी करना चाहता था जिसका विरोध मेरे पति तथा मेरी लड़की करती थी। इसी के कारण मेरे पति की कई बार घराबंदी हुई थी परन्तु लड़की

का मामला होने के कारण कहीं कोई शिकायत नहीं की गई थी। घटना के दिन मेरे पति, मैं तथा मेरी लड़की बरामदे में बैठकर बातें कर रहे थे तभी राजेश सिंह व प्रदीप सिंह, अशोक कुमार तमंचा लेकर घुस आए। मेरे पति से राजेश ने कहा कि आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और गर्दन पर सटाकर गोली मार दी। अन्य लोगों ने तमंचे से फायर किया जिसकी चोट मेरे पति को लगी तथा बाहर से आ रहे हकीम अंसारी को लगी। शेष अन्य अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। मेरे पति की हालत नाजुक थी। उनको कृष्ण कुमार तिवारी के साथ अस्पताल भेजवाया, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई।

यूपी में पाक की जीत का जश्न मनाने वालों पर चलेगा देशद्रोह का केस : सीएम योगी

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने टी-20 विश्वकप के दौरान भारत पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने प्रदेश के तीन जिलों में ऐसे सात व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब इन पर देशद्रोह की धारा भी लगाई जाएगी। साथ ही सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी कोई ऐसी वारदात हो जिसमें देश के खिलाफ कार्य किया जा रहा हो तो उसमें भी त्वरित कार्रवाई कर राष्ट्रद्रोह की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करें। 24 अक्टूबर को टी-20 क्रिकेट विश्व कप में भारत-पाकिस्तान के मैच का नतीजा आने के बाद कुछ शहरों में पाकिस्तान के समर्थन में भारत विरोधी नारेबाजी हुई। कई जगहों पर लोगों ने पटाखें फोड़कर लोगों की भावनाओं का आहत किया। इस मामले पर सरकार ने रिपोर्ट तलब की। इस पर डीजीपी मुकुल गौयल ने सभी जिलों को कड़ी कार्रवाई करने को कहा। भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मैच में भारत के



हारने पर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए देश विरोधी नारेबाजी करने वाले तीन युवकों के खिलाफ आगरा के जगदीशपुरा थाने में आईपीसी की धारा 505(1)बी व 153ए के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66 (एफ) के तहत नामजद एफआईआर दर्ज की थी। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल के व्हाट्सअप पर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए स्टेटस लगाया था। इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 504 व 506 के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बरेली के इज्जतनगर थाने में ही एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।



नगर पालिका परिषद भरवारी



भव्य दीपावली मेला

दिनांक 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक

स्थान: नवीन मण्डी स्थल, योग केन्द्र राम वाटिका के बगल में नगर पालिका परिषद, भरवारी, कौशाम्बी

प्रतिदिन सायंकाल भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेज़र शो, मैजिक शो, भव्य आकर्षक झूले, शिल्प, खान-पान, स्थानीय उत्पाद सहित 100 आकर्षक दुकाने, सभी सरकारी योजनाओं के विभागीय स्टाल लगाये जायेंगे।

विशेष आकर्षण :

आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं

संजय कुमार गुप्ता

विधायक-253 चायल, कौशाम्बी
ब्राण्ड अम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन

राजेश श्रीवास्तव
उप जिलाधिकारी एवं प्रशासक

गिरीश चन्द्र
अधिसापी अधिकारी, भरवारी

सुजीत कुमार
जिलाधिकारी, कौशाम्बी

